



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25082021-229214  
CG-DL-E-25082021-229214

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 352]  
No. 352]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 25, 2021/भाद्र 3, 1943  
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 25, 2021/BHADRA 3, 1943

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त, 2021

फा. सं. 1-स्टैंडर्ड्स/एसपी(एलएंडसी/ए/तेल दावे/एफएसएसएआई-2018.—खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 में और आगे संशोधन, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 23 और 24 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ट) और (फ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए करना चाहती है, करने के लिए इन विनियमों का मसौदा इससे प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार एतद्वारा प्रकाशित करती है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदा विनियमों पर उस तिथि से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तिथि को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई जाएँगी।

एतद्वारा

यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा [regulation@fssai.gov.in](mailto:regulation@fssai.gov.in) पर ई-मेल से भेजा जा सकता है।

उक्त मसौदा विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार निर्धारित तिथि तक प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

### प्रारूप विनियम

- (1) इन विनियमों को 'खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) संशोधन विनियम, 2021' कहा जा सकता है।  
(2) ये राज्यपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 (जिन्हें एतदपश्चात् 'उक्त विनियम' कहा जाएगा) की अनुसूची 2-क में क्रम संख्या 15 के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएँगी, अर्थात्,-

क्रम सं.	खाद्य वनस्पति तेल	दावे
16.	कच्चे नारियल का तेल	• आसानी से चयापचय के योग्य मीडियम चेन के फैटी एसिडयुक्त
17.	चिया तेल	• ओमेगा-3 पॉलि अनसैच्युरेटिड फैटी एसिड (ओमेगा-3 पीयूएफए, एल्फा लिनोलेनिक एसिड) में प्रचुर; • एल्फा लिनोलेनिक एसिड एक अनिवार्य फैटी एसिड होता है, जो रक्त कोलेस्ट्रॉल का स्तर सामान्य बनाए रखने में सहायता करता है।
18.	एवोकाडो तेल	• मोनो अनसैच्युरेटिड फैटी एसिड (एमयूएफए) में प्रचुर, जो रक्त कोलेस्ट्रॉल का स्तर सामान्य बनाए रखने में सहायता करता है।
19.	सूरजमुखी के बीज का तेल - उच्च ओलीक एसिड	• मोनो अनसैच्युरेटिड फैटी एसिड (एमयूएफए) में प्रचुर, जो रक्त कोलेस्ट्रॉल का स्तर सामान्य बनाए रखने में सहायता करता है। • टोकोफेरॉल युक्त, जो प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं।
20.	कुसुंभ के बीज का तेल - उच्च ओलीक एसिड	• मोनो अनसैच्युरेटिड फैटी एसिड (एमयूएफए) में प्रचुर, जो रक्त कोलेस्ट्रॉल का स्तर सामान्य बनाए रखने में सहायता करता है।

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./214/2021-22]

**टिप्पणी.**—मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या फा. सं. 1-94/स्टैंडर्ड्स/एफएसएसएआई/एसपी(दावे और विज्ञापन)/2017, दिनांक 19 नवंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2021

**F. No. 1-Stds/SP(L&C/A)/Oil Claims/FSSAI-2018.**—The following draft of certain regulations to further to amend the Food Safety and Standards (Advertising and Claims) Regulations, 2018, which the Food Safety and Standards Authority of India, proposes to make with previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred by clauses (k) and (v) of sub-section (2) of section 92, read with the section 23 and section 24 of the

Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required by the said sub-section (1) of section 92 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi-110002 or sent on email at regulation@fssai.gov.in;

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of the period so specified, will be considered by the Food Authority.

#### Draft regulations

1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Advertising & Claims) Amendment Regulations, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Advertising & Claims) Regulations, 2018 (herein after refer as said regulations), in Schedule II-A, after S.No. 15, the following entries shall be inserted, namely:—

Sl. No.	Edible Vegetable Oil	Claims
16.	Virgin Coconut Oil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contains medium chain fatty acids that are easily metabolized.</li> </ul>
17.	Chia Oil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rich in Omega-3 Poly Unsaturated Fatty Acid (Omega-3 PUFA, Alpha linolenic acid);</li> <li>Alpha linolenic acid is an essential fatty acid that contributes to the maintenance of normal blood cholesterol levels.</li> </ul>
18.	Avocado Oil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rich in Mono Unsaturated Fatty Acid (MUFA) that helps to maintain normal blood cholesterol levels.</li> </ul>
19.	Sunflower seed Oil-High Oleic Acid	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rich in Mono Unsaturated Fatty Acid (MUFA) that helps to maintain normal blood cholesterol levels.</li> <li>Contains Tocopherols which are natural antioxidant.</li> </ul>
20.	Safflowerseed Oil-High Oleic Acid	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rich in Mono Unsaturated Fatty Acid (MUFA) that helps to maintain normal blood cholesterol levels.</li> </ul>

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./214/2021-22]

**Note.**— The principal regulation were published in the Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, vide notification number F. No. 1-94/FSSAI/SP(Claims and Advertisements)/2017, dated 19th November, 2018.